

LECTURE - 42

UNIT - 4

NATIONAL POPULATION POLICY, 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1976 के बाद इस नवीनतम संशोधित जनसंख्या नीति के अनुसार सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाना आवश्यक है ताकि नव शक्ति समाज के लिए उत्पादक बुँजी में परिवर्तन हो सके इस नीति में तीन उद्देश्यों का समावेश है —

1) तात्कालिक उद्देश्य → गर्भ-निरोधक उपायों के विस्तार हेतु तथा स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति।  
स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढाँचे का विकास

2) मध्यकालीन उद्देश्य → सन् 2010 तक कुल प्रजननता दर को 2.1 तक घटाना।

3) दीर्घकालीन उद्देश्य → सन् 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास हेतु आवश्यक स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य की प्रति संशोधित नई नीति में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न जनांकिकीय लक्ष्य भी घोषित किए गए हैं —

① बुनियादी प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा आधारभूत ढाँचे से संबंधित अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना

② 14 वर्ष की आयु तक विद्यालयी शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयी स्तरों पर छात्र और छात्राओं दोनों का ही विद्यालय छोड़ने में 20% तक कमी लाना।

- ③ शिक्षा मृत्यु पर प्रति हजार पर 30 से नीचे लाना। ②
- ④ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो निर्धारित आयु में विवाह करने के पश्चात् पहले बच्चे को तब जन्म दे जब माँ की आयु 21 वर्ष हो जाएगा।
- ⑤ टीका द्वारा रोकथाम वाली बीमारियों के विषय सार्वभौमिक टीकाकरण लाना।
- ⑥ कन्याओं के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करना जो 18 वर्ष से पहले बही तथा 20 वर्ष के बाद करने को तरजीह दी जाए।
- ⑦ 80% प्रसव संस्थानों द्वारा 100% प्रसव प्रशिक्षित दाइयों द्वारा होना।
- ⑧ प्रजनन नियंत्रण के लिए सूचना। एलाह और सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच तथा गर्भ-निरोधक के व्यापक विकल्पी का पता लगाना।
- ⑨ जन्म-मृत्यु, विवाह तथा गर्भावस्था का 100% रजिस्ट्रेशन करना।
- ⑩ एड्स के प्रसार को रोकना तथा प्रजनन अंग संक्रमण (R.T.I) और यौन संचारी रोगों तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अपेक्षाकृत अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- ⑪ संक्रमण बीमारियों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण
- ⑫ प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तथा धरी तक इनकी पहुंच करने हेतु भारतीय औषधि पद्धति को एकीकृत करना।
- ⑬ T.F.R. को प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने हेतु छोटे परिवार के मानदंडों को होस रूप से बढ़ावा



देना।

(14) संबंधित सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यान्वयन को एकीकृत करना ताकि परिवार कल्याण के जन केंद्रित कार्यक्रम बन सकें।

(15) जनसंख्या नीति में संविधान के अनुच्छेद 84 के संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों का वंटकारा 2026 तक 1371 की जनसंख्या के आधार पर ही रखने का विधायि लिया गया है।